अनुबंध/ANNEXURE – I

सेवा की शर्तों को सूचित करने वाला अनुबंध
ANNEXURE SHOWING THE CONDITIONS OF SERVICE

1. नियुक्ति "अगले आदेश तक" वर्तमान अस्थायी पद के लिए है और यदि अस्थायी पद को समाप्त कर दिया जाता है तो, इसके लिए कोई कारण बताए बिना भी, नियुक्ति को पहले ही समाप्त किया जा सकता है ।
   The appointment is for the present temporary and "until further orders" and may be terminated if the temporary post is abolished of even earlier without assigning any reason therefore.
2. ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करते समय प्रस्तुत करने हेतु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को कोई यात्रा भत्ता या अन्य भत्ता का भुगतान नहीं किया जाएगा।
   No travelling allowance or other allowance will be paid to the candidate for obtaining the certificate to be produced at the time of reporting for duty.
3. उम्मीदवार को सूचित किया जाता है कि उसे, संबन्धित कार्यालय प्रमुख के समक्ष ड्यूटी के लिए रिपोर्ट की गई तारीख से इस विभाग में कार्यग्रहण किया हुआ, माना जाएगा ।
   The candidate is informed that he/she will be considered to have joined this Department from the date on which reports for duty before the Head of Office concerned.
4. उसे यह कहना होगा कि वह भारत का नागरिक है, यदि नहीं है क्या वह एक ऐसा (क) व्यक्ति है जो भारत में बसने के इरादे से पाकिस्तान से पलायन कर गया है, और पलायन की तारीख (ख)जो व्यक्ति नेपाल या सिक्किम या तिब्बत की प्रजा है या पांडिचेरी राज्य का निवासी है ।
   He/She would state whether he/she is a citizen of India and if not, whether he/she is (a) person who has migrated from Pakistan with the intention of permanently settling in India and the date of migration (b) a subject of Nepal or Sikkim or Tibet or a native of Pondicherry state.
5. उसे अपनी शैक्षिक योग्यता और आयु के प्रमाण में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
   He/She must produce his/her original certificate in proof of his/her academic qualification and age.
6. उसे भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन पिछले तीन वर्षों के दौरान अपने पिछले रोजगार, यदि कोई हो, की पूरी जानकारी देने के लिए लिखित रूप में एक बयान देना चाहिए।
   He/She must give a statement in writing giving full information of his/her previous employment if any, during the last 3 years under the Government of India or under any State Government.
7. छंटनी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों या इस तरह से माना जा रहे हैं लोगों को इस विभाग में वरिष्ठता के लिए अपनी पिछली सेवा की गिनती करने की अनुमति नहीं है। विभाग में अपने नियुक्ति इस शर्त के अधीन है।
   Retrenched Central Government servants or those who are treated as such are not allowed to count their past service for the purpose of seniority in this Department. Their appointment in the Department is subject to this condition.
8. यदि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य होने का दावा करता है तो उसे कहना होगा कि संविधान आदेश, 1950(अनुसूचित मामले) में उल्लेख जातियों या जनजातियों में से विशेष रूप से वह किस जाति या जनजाति के अंतर्गत आता है ।
   If he/she claims to be a member of the Scheduled Caste or Scheduled Tribes, he/she should state specifically to which of the castes or tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Cases) Order, 1950 he /she belongs.
9. उसे चेतावनी दी जाती है कि वह किसी भी बिंदु पर गलत जानकारी प्रस्तुत करने पर उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है ।
   He/She is warned that, the furnishing of incorrect information on any point will render him/her liable to disciplinary action.
10. उसे इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि, वह नियम, अनुशासन और इस विभाग में व्याप्त आचरण संबंधी नियम और अपने सभी कर्मचारियों पर सरकार द्वारा लगाए गए नियम का पालन कर रहा है ।
    He/She should also note that, he/she has to confirm to the Rules, disciplines and conduct prevailing in this Department and those imposed by Government on all their employees.
11. उसको, पदभार ग्रहण करने के पूर्व निर्धारित प्रपत्र में भारतीय संघ के प्रति निष्ठा की शपथ लेना चाहिए।
    He/She should prior to assuming office, take on oath of allegiance to the Indian Union in the prescribed form.

Contd….p2/

12. उसे ध्यान देना चाहिए कि वह केरल केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जोन में और सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय कोचीन के तहत कहीं भी आने वाले किसी भी आयुक्तालय के क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाले कहीं भी स्थान में स्थानांतरण किया जा सकता है ।

He/She should note that he/she is liable for transfer anywhere falling within the jurisdiction of any Commissionerate coming under the Kerala Central Excise Zone and Customs Preventive Commissionerate Cochin.

13. विभाग प्रमुख को अन्य सरकारी कार्यालयों या कहीं और नियुक्ति के लिए उसके आवेदन को भेजने या रोकने का पूर्ण अधिकार है।

The head of Department has full discretion to forward or withhold any of his/her application for appointment in other Government Offices or elsewhere.

14. उम्मीदवार को एक राजपत्रित अधिकारी से जो उस से संबन्धित नहीं होना चाहिए, तीन महीनों से कम पुराने, अच्छे चरित्र का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा (अनुबंध -II में दिए अनुसार) । सरकारी सेवा में उसके प्रतिधारण, आगे सभी तरह से वह सरकारी सेवा में उपयुक्त पाए जाने से है ।

The candidate must produce a certificate of good character (as given in Annexure II) not more than three months old from a Gazetted Officer not related to him/her. His/her retention in service is further to her/his being found suitable for Government service in all respect.

15. उम्मीदवार को एक चिकित्सा अधिकारी से, जो कम से कम सिविल सर्जन के पद का होना चाहिए, सरकारी सेवा के लिए मेडिकल फिटनेस का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । (अनुबंध - III में दिए अनुसार)।

The candidate must produce a Certificate of Medical fitness for Government Service from a Medical Officer not below the rank of Civil Surgeon (as given in Annexure III).

16. लिपिक पदों और अन्य गैर कार्यकारी पदों पर नियुक्त सभी उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें इस विभाग के पद से इस्तीफा देने की इच्छा है तो उन्हें अपनी इच्छा की सूचना एक माह की अवधि देकर लिखित रूप की नोटिस में देनी होगी ।

All candidates appointed to clerical posts and other non-executive posts are informed that, if they wish to resign the post in this Department they shall give notice in writing for a period of one month of their intention to resign.

17. सीधी भर्ती कोटा के पदों पर नियुक्त विभागीय उम्मीदवार भारत सरकार द्वारा इस तरह की नियुक्ति के लिए निर्धारित शर्तों से नियंत्रित है। उन की यात्रा भत्ता, कार्यग्रहण करने का समय, वेतन आदि समय-समय पर जारी आदेशों से नियंत्रित है ।

Departmental candidates appointed to the posts against direct recruitment quota are governed by the conditions prescribed for such appointment by the Govt. of India. Their T.A., joining time and pay etc. are governed by the orders issued from time to time.

18. कार्यकारी पदों पर नियुक्त सभी विभागीय लिपिक अधिकारी निर्धारित प्रपत्र में एक वचन देना चाहिए।

All Departmental Ministerial officers appointed to Executive posts should give an undertaking in the prescribed form.

19. इस विभाग में नियुक्त सभी उम्मीदवार अपने केडर को निर्धारित विभागीय परीक्षा निर्धारित समय के अंतर्गत पारित करना चाहिए।

All candidates appointed in this Departmental should pass the Departmental Examination prescribed for their cadres within the prescribed time.

तारीख :
Date:

उम्मीदवार का हस्ताक्षर
Signature of the Candidate

स्थान :
Place